परिवहन इमदाद योजना

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1971

संख्या एफ.6(26)/71-ISI - भारत सरकार चयनित क्षेत्रों को और से वहां उद्योगों के विकास का संवर्धन करने की दृष्टि से, कतिपय कच्चे माल तथा परिष्कृत सामान के परिवहन पर इमदाद प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक - इस योजना का नाम परिवहन इमदाद योजना, 1971 है।

2. प्रारंभ और अवधि: यह योजना चयनित क्षेत्रों (क) के संबंध में 15-7-1971 से, चयनित क्षेत्रों (ख) के संबंध में 24-8-1973 से, चयनित क्षेत्रों (ग) के संबंध में 1-12-1976 से तथा चयनित क्षेत्रों (घ) के संबंध में 5-12-1977 से प्रवृत होती है और यह 31-3-2007 तक लागू रहेगी। [यह योजना अधिसूचना संख्या 11 (1)/2000-डीबीए.II दिनांक 25.5.2000 द्वारा 31.3.2007 तक; अधिसूचना संख्या 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर, दिनांक 3 अप्रैल, 2007 और 5 नवम्बर, 2008 द्वारा 31.3.2008 तक बढ़ाई गई थी।] अधिसूचना संख्या 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर, दिनांक 4 मार्च, 2009 द्वारा यह योजना उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर मूल्यांकन प्रक्रिया के पूरा होने तक जिसके उपरांत उपयुक्त प्रस्ताव सीसीईए के समक्ष निर्णय हेतु रखे जाने अपेक्षित हैं, 31.3.2008 से और आगे बढ़ाई गई थी ।

अधिसूचना संख्या 6(26)/71-ISI, दिनांक 28.2.74; 6(3)/75-आरडी, दिनांक 19.7.78 (क्षेत्र क, ख, ग और घ परिभाषित किए गए थे); 11(1)/85-डीबीए.II, दिनांक 1.12.86 द्वारा संशोधित

3. यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों ही में, चयनित क्षेत्रों (क), (ख), (ग) और (घ) में उनके आकार पर ध्यान न देते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों (बागान, तेल शोधन और विद्युत उत्पादन करने वाली इकाईयों को छोड़कर) पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू है। इस संशोधन के प्रवर्तन की तारीख 01 अप्रैल, 1995 होगी।

अधिसूचना संख्या 6 (3)/75-आरडी, दिनांक 19.7.78; 11(1)/95-डीबीए-II दिनांक 28-7-93 और दिनांक 29-9-1995 द्वारा संशोधित

4. परिभाषाएं-

(क) 'औद्योगिक इकाई' से एक औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जहां विनिर्माण कार्यक्रम किया जाता है।

(ख) 'नई औद्योगिक इकाई' से एक औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसने विनिर्माण क्षमता स्थापित की है और योजना के प्रारंभ की तारीख को अथवा उसके उपरांत उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ग) 'विद्यमान औद्योगिक इकाई' से एक औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसने विनिर्मण क्षमता स्थापित की है और योजना के प्रारंभ की तारीख से पूर्व उत्पादन शुरू कर दिया है।

(घ) 'पर्याप्त विस्तार' से किसी औद्योगिक इकाई में लाइसेंस की गई अथवा अनुमोदित क्षमता से 25 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि अभिप्रेत है।

(ङ) 'विविधीकरण' से किसी औद्योगिक इकाई द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके द्वारा पहले से विनिर्मित वस्तु अथवा वस्तुओं की अनुमोदित अथवा लाइसेंस की गई क्षमता से 25 प्रतिशत अथवा अधिक (मूल्य के अनुसार) नई वस्तु अथवा वस्तुओं का विनिर्माण अभिप्रेत है।

(च)** चयनित क्षेत्रों (क) से जम्मू एवं कश्मीर राज्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र, सिक्किम राज्य तथा असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों से युक्त उत्तरपूर्वी क्षेत्र तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र, चयनित क्षेत्रों (ख) से हिमाचल प्रदेश राज्य तथा देहरादून, नैनिताल, अलमोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथोरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली जिलों से युक्त उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्र और दार्जिलिंग जिले से युक्त पश्चिम बंगाल राज्य अभिप्रेत है।

****अधिसूचना सं. 11/1/85-डीबीए-II दिनांक 1-12-1986 द्वारा संशोधित (आरम्भ में क, ख, ग और घ क्षेत्रों की परिभाषा प्रदान करने हतु अधिसूचना सं. 6/3/75-आरडी, दिनांक 19.7.78 द्वारा संशोधित)**

(छ) अधिसूचना सं.6 (26)/71-Iसी दिनांक 28.2.1974 द्वारा लोप किया गया

(ज) 'कच्चा माल' से किसी औद्योगिक इकाई द्वारा अपने विनिर्माण कार्यक्रम में, भारत सरकार द्वारा और/अथवा जिसमें औद्योगिक इकाई स्थित हो उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यथा अनुमोदित वास्तव में अपेक्षित और प्रयुक्त कच्चा माल अभिप्रेत है।

(झ) 'परिष्कृत सामान' से किसी औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्माण कार्यक्रम के अनुसार भारत सरकार द्वारा और/अथवा जिसमें औद्योगिक इकाई स्थित हो उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमोदित वास्तव में उत्पादित सामान अभिप्रेत है।

5. **अधिसूचना सं. 6(26)/74-I सी दिनांक 28.2.1974 द्वारा लोप किया गया**

6. योजना का ब्यौरा-

(i) परिवहन इमदाद, चयनित क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों को ऐसे क्षेत्रों को लाए गए कच्चे माल तथा वहां से बाहर ले जाए गए परिष्कृत सामान के संबंध में दी जाती है।

(ii) **जम्मू और कश्मीर राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र और सिक्किम राज्य के भीतर कच्चे माल तथा परिष्कृत सामान की आंतरिक ढुलाई हेतु औद्योगिक इकाईयां परिवहन इमदाद की पात्र नहीं होंगी।

(iii) **जम्मू और कश्मीर के मामले में, परिवहन इमदाद औद्योगिक इकाई के स्थान से जम्मू अथवा पठानकोट के रेलहेड के बीच, जो भी निकटतर हो, परिवहन लागत पर दी जाएगी। परिवहन इमदाद में दिल्ली से श्रीनगर और विलोमत: हवाई जहाज द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों/उत्पादों की ढुलाई पर हवाई किराए का 75% भी कवर होगा। आंशिक रूप से हवाईजहाज द्वारा तथा आंशिकत: रेल/सड़क द्वारा सामान की ढुलाई के मामले में, परिवहन इमदाद, दिल्ली से श्रीनगर को हवाई किराए पर 75% की दर से तथा रेल/सड़क द्वारा आवाजाही हेतु औद्योगिक इकाई के स्थान तक तथा <u>विलोमत:</u> 90% की दर से अनुमत्य होगी। (हवाई **किराए पर परिवहन इमदाद, अधिसूचना सं. 11/2/89-डीबीए-II, दिनांक 18.8.89 द्वारा अनुमत की गई)**

हिमाचल प्रदेश के मामले में, परिवहन इमदाद राज्य में औद्योगिक इकाई के स्थान तथा निकटतम रेल-हेड अर्थात् (i) पठानकोट (ii) कीरतपुर साहिब (iii) नंगल (iv) कालका (v) घनौली (vi) यमुना नगर (vii) बराड़ और (viii) होशियारपुर के बीच परिवहन लागत पर दी जाएगी। परिवहन इमदाद में दिल्ली से शिमला और <u>विलोमत:</u> इवाई जहाज द्वारा इलेक्ट्रानिक कलपुर्जों/उत्पादों की ढुलाई पर हवाई किराए का 75% भी कवर होगा। आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा तथा आंशिकत: रेल/सड़क द्वारा सामान की ढुलाई के मामले में परिवहन इमदाद, दिल्ली से शिमला को हवाई किराए पर 75% की दर से तथा रेल/सड़क द्वारा ढुलाई हेतु औद्योगिक इकाई के स्थान तक और <u>विलोमत:</u> 75% की दर से अनुमत्य होगी। **(हवाई किराए पर परिवहन इमदाद, अधिसूचना सं. 11/2/889-डीबीए, दिनांक 18.8.89 द्वारा अनुमत की गई)।**

उत्तर प्रदेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में, परिवहन इमदाद औद्योगिक इकाई के स्थान तथा रेल-हेड अर्थात् (i) देहरादून (ii) ऋषिकेश (iii) मुरादाबाद (iv) बरेली (v) कोटद्वार (vi) शाहजहांपुर और (vii) रामपुर के बीच परिवहन लागत पर दी जाएगी।

****अधिसूचना सं. 11/1/85-डीबीए-II दिनांक 1-12-1986 द्वारा संशोधित (आरम्भ में क्षेत्र क, ख, ग और घ की परिभाषा प्रदान करने हेतु अधिसूचना सं. 6/3/75-आरडी दिनांक 19.7.78 द्वारा संशोधित)**

(iv) *असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य तथा अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र से युक्त उत्तरपूर्वी क्षेत्र के मामले में, परिवहन इमदाद, सिलीगुड़ी तथा इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई-स्थल के बीच परिवहन लागत पर दी जाएगी। कच्चे माल की परिवहन लागत परिकलित करते समय, सिलीगुड़ी से औद्योगिक इकाई-स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तक रेल द्वारा ढुलाई की लागत और उसके उपरांत सड़क द्वारा औद्योगिक इकाई-स्थल तक ढुलाई की लागत को ध्यान में रखा जाएगा। इसी तरह, परिष्कृत सामान की परिवहन लागत परिकलित करते समय औद्योगिक इकाई स्थल से निकटतम रेलवे स्टेशन तक सड़क द्वारा ढुलाई की लागत तथा उसके उपरांत सिलीगुड़ी तक रेल द्वारा आवाजाही की लागत को ध्यान में रखा जाएगा। उत्तरपूर्वी क्षेत्र के मामले में, सड़क द्वारा अथवा परिवहन के किसी अन्य माध्यम द्वारा सामान की ढुलाई हेतु परिवहन लागत उस राशि तक सीमित कर दी जाएगी जो औद्योगिक इकाई ने अदा की होती यदि सिलीगुड़ी से कच्चा माल औद्योगिक इकाई-स्थल तक के निकटतम रेलवे स्टेशन तक रेल द्वारा और उसके उपरांत सड़क द्वारा लाया-ले जाया गया होता। इसी तरह उत्तरपूर्वी क्षेत्र में परिष्कृत सामान की सड़क द्वारा अथवा परिवहन के अन्य माध्यम द्वारा पूर्णतया ढुलाई के मामले में, परिवहन लागत उस राशि तक सीमित कर दी जाएगी जो औद्योगिक इकाई ने अदा की होती यदि परिष्कृत सामान औद्योगिक इकाई-स्थल से निकटतम रेलवे स्टेशन तक सड़क द्वारा और उसके उपरांत रेल द्वारा सिलीगुड़ी तक लाया-ले-जाया गया होता।

[अधिसूचना **सं. 6(26)/71-Iसी दिनांक 28.2.1974 द्वारा संशोधित]**

परिवहन इमदाद में उत्तरपूर्वी क्षेत्र के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में 'कच्चे माल' की ढुलाई भी कवर होगी। परिवहन इमदाद में क्षेत्र के भीतर 'परिष्कृत सामान' की अन्तर-राज्य आवाजाही भी कवर होगी परन्तु उपलब्ध इमदाद औद्योगिक इकाई-स्थल से निकटतम रेलवे स्टेशन तक सामान की ढुलाई पर सड़क द्वारा तथा उसके उपरांत रेल द्वारा तथा विलोमत: परिवहन लागत का 50% होगी। परिवहन इमदाद, कोलकाता से औद्योगिक इकाई-स्थल तक और विलोमत: हवाई जहाज द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों/उत्पादों की ढुलाई पर हवाई किराए का 75% भी कवर करेगी। आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा तथा आंशिकत: रेल/सड़क द्वारा सामान की ढुलाई के मामले में, परिवहन इमदाद कोलकाता से औद्योगिक इकाई-स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक के हवाई किराए पर 75% की दर से और उसके उपरांत रेल/सड़क द्वारा ढुलाई हेतु औद्योगिक इकाई स्थल तक तथा विलोमत: 90% की दर से अनुमत्य होगी।

[## 11/1/85-डीबीए-II दिनांक 17.3.1987 और 24.5.1988 द्वारा अन्त:स्थापित]

(v) एवं अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के मामले में, परिवहन इमदाद मद्रास पत्तन तथा संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक इकाई-सथल के बीच समुद्र तथा सड़क द्वारा परिवहन लागत पर दी जाएगी। लक्षद्वीप के मामले में, परिवहन इमदाद, कोचीन पत्तन तथा संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक इकाई-स्थल के बीच समुद्र तथा सड़क द्वारा परिवहन लागत पर दी जाएगी। यदि परिवहन इमदाद के प्रयोजनार्थ, मुख्य भूभाग पर किसी और पत्तन का उपयोग किया जाता है, तो परिवहन लागत वह राशि जो यदि यथास्थिति मद्रास अथवा कोचीन पत्तन का उपयोग किया गया होता औद्योगिक इकाई ने खर्च की होती अथवा वास्तविक परिवहन लागत, इनमें से जो भी कम हो मानी जाएगी।

[एवं अधिसूचना सं.6/3/75-आरडी दिनांक 19.7.1978 द्वारा अन्त:स्थापित]

(vi) एवं सिक्किम के मामले में, परिवहन इमदाद राज्य में औद्योगिक इकाई-स्थल तथा सिलीगुड़ी के रेल-हेड के बीच परिवहन लागत पर दी जाएगी।

[एवं अधिसूचना सं. 6/3/75-आरडी दिनांक 19.7.1978 द्वारा अन्त:स्थापित]

(vii) $ सड़क/समुद्र द्वारा आवाजाही हेतु ढुलाई व्यय समय-समय पर केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तय किए गए परिवहन/ढुलाई दरों अथवा वास्तव में अदा किए गए भाड़े, जो भी कम हो के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

[$ अधिसूचना सं. 6/3/75-आरडी दिनांक 19.7.1978 द्वारा पुनर्संख्यांकित और संशोधित]

(viii) $ रेलवे स्टेशन से औद्योगिक इकाई स्थल तक लदाई अथवा उतराई अथवा अन्य हैंडलिंग खर्चों की लागत को परिवहन लागत का निर्धारण करने में ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

[$ अधिसूचना सं. 6/3/75-आरडी दिनांक 19.7.1978 द्वारा पुनर्संख्यांकित और संशोधित]

(ix) $# चयनित क्षेत्रों में अवस्थित नई औद्योगिक इकाईयां चयनित क्षेत्रों (क) में 90 प्रतिशत के समतुल्य और चयनित क्षेत्रों (ख) में कच्चे माल तथा परिष्कृत सामान-दोनों ही की परिवहन लागत के 75 प्रतिशत की परिवहन इमदाद की पात्र होंगी।

(x) $# चयनित क्षेत्रों में विद्यमान औद्योगिक इकाईयां भी, योजना की शुरूआत के उपरांत उनके द्वारा भारी विस्तार अथवा विविधीकरण प्रभाव के परिणामस्वरूप उद्भूत कच्चे माल और परिष्कृत सामान की अतिरिक्त परिवहन लागतों के संबंध में परिवहन इमदाद की पात्र हैं। ऐसे मामलों में परिवहन लागत, भारी विस्तार अथवा विविधीकरण के परिणामस्वरूप अपेक्षित कच्चे माल तथा उत्पादित परिष्कृत सामान की परिवहन लागतों के चयनित क्षेत्रों (क) में 90 प्रतिशत और चयनित क्षेत्रों (ख) में 75 प्रतिशत तक सीमित कर दी जाएगी।

(xi) $# परिवहन इमदाद, मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के गुवाहाटी स्टॉकयार्ड से उतरपूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थल को इस्पात की ढुलाई हेतु तथा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अवस्थित स्टेट कारपोरेशन के डिपों से राज्य के पहाड़ी जिलों में स्थित औद्योगिक इकाई-स्थलों को औद्योगिक क्षेत्रों (क) में 90 प्रतिशत तथा चयनित क्षेत्रों (ख) में 75 प्रतिशत भी कवर करेगी। ***परिवहन इमदाद स्रोत के परवाणू स्टॉकयार्ड से हिमाचल प्रदेश राज्य में औद्योगिक इकाई-स्थल तक इस्पात की ढुलाई हेतु परिवहन व्यय भी कवर करेगी (अधिसूचना सं. 11/3/81-बीएडी/डीबीए-II दिनांक 28.7.86 द्वारा परिवर्धित)***

[$ अधिसूचना सं.6/3/75-आरडी दिनांक 19.7.1978 द्वारा पुनर्संख्यांकित और संशोधित]

[# अधिसूचना सं. 11/1/85-डीबीए-II दिनांक 25.9.1986 द्वारा संशोधित-क्षेत्र क और ख की परिभाषा प्रदान की गई तथा क्षेत्र क के संबंध में इमदाद की दर 75% से बढ़ाकर 90% कर दी गई]

(xii) (क)*$ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निदेशक, उद्योग, राज्य उद्योग विभाग तथा राज्य वित्त विभाग आदि से एक-एक प्रतिनिधि से युक्त एक समिति गठित करेगा जिसमें औद्योगिक विकास मंत्रालय से भी एक प्रतिनिधि नामित किया जाएगा। यह समिति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर संचलित होगी तथा उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उद्भूत परिवहन इमदाद के सभी दावों की संवीक्षा करेगी और उन्हें निपटाएगी। दावाकर्ताओं से जिस चयनित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र में इकाई स्थित है, उसमें आयातित कच्चे माल और उससे 'निर्यातित' परिष्कृत सामान का पंजीकृत चार्टर्ड लेखाकारों से प्रमाण प्रदान करने को कहा जाएगा। यह समिति किसी अन्य दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना भी निर्धारित कर सकती है जो उसके मत में परिवहन इमदाद हेतु दावाकर्त्ता की पात्रता का निर्णय लेने में आवश्यक हो। तथापि, 1 लाख रुपये अथवा उससे कम पूंजी निवेश वाली लघु इकाईयों के मामले में, चार्टर्ड लेखाकार से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने संबंधी अपेक्षा इस शर्त के अध्यधीन माफ की जा सकती है कि ऐसे दावे, इमदाद स्वीकृत/वितरित किए जाने से पूर्व राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा समुचित रूप से सत्यापित कर लिए जाएं। दावों की छानबीन और निपटान के उपरांत, औद्योगिक इकाईयों को वितरित धनराशि पहले केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को दिए गए अग्रिम बकाया साधनों के मद्दे वित्त मंत्रालय के पत्र सं. 2(17)पीII/58 दिनांक 12.5.1958 के

अनुसार समायोजित की जाएगी तथा शेष, यदि कोई हो, नकद में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को अदा किया जाएगा।

परन्तु यह कि 1,00,000/- रुपये अथवा उससे कम के पूंजी निवेश वाली लघु इकाईयों के मामले में चार्टर्ड लेखाकार से कच्चे माल के आयात तथा परिष्कृत सामान के निर्यात संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने संबंधी अपेक्षा को राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा समुचित सत्यापन से स्थानापन्न कर दिया जाएगा।

[* अधिसूचना सं.6(26)/71-Iसी दिनांक 28.2.1974 द्वारा संशोधित]
[$ अधिसूचना सं. 6/3/75-आरडी दिनांक 19.7.1978 द्वारा पुनर्संख्यांकित और संशोधित]

(ख)^ उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के संबंध में राज्य-स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना की विद्यमान शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार परिवहन इमदाद जारी करने के लिए नोडल अभिकरण के रूप में काम करेगी।

[^ अधिसूचना सं. 11(1)/98-डीबीए-II दिनांक 29.1.1998 द्वारा अंत:स्थापित]

(ग)!! हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा सिक्किम के मामले में, राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी)/जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा परिवहन इमदाद-दावों की संवीक्षा और अनुमोदन के उपरांत, संबंधित उद्योग निदेशालय द्वारा दावे इन राज्यों के पदनामित नोडल अभिकरणों नामत: हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एनईडीएफआई), उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसीयूएल) और उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) को क्रमश: निर्दिष्ट कर दिए जाएंगे। तदोपरांत, एचपीएसआईडीसी, एसआईडीसीयूएल और एनईडीएफआई योजना के उपबंधों और अलग से उन्हें जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परिवहन इमदाद की ध्यानपूर्वक संवीक्षा के उपरांत, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा उन्हें जारी की जाने वाली निधि में से पात्र इकाईयों को परिवहन इमदाद संवितरित कर देंगी तथा जो इन नोडल अभिकरणों द्वारा ऐसे नोडल अभिकरणों से समय-समय पर प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर विभाग द्वारा अनुपूरित परिक्रमण निधि स्वरूप रखी जाएगी।

[!! अधिसूचना सं. 10(4)/2004-डीबीए-II दिनांक 25.1.2005 द्वारा संशोधित]

स्पष्टीकरण: तथापि, मिजोरम राज्य में, यदि विद्यमान औद्योगिक इकाई के लिए पंजीकृत चार्टर्ड लेखाकार से, पंजीकृत लेखाकार उपलब्ध न होने के कारण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर पाना

संभव नहीं हो, तो इकाई(यों) से कच्चे माल/परिष्कृत सामान की ढुलाई हेतु विक्री कर प्राधिकरणों से हासिल प्रमाण-पत्र और आयुक्त/निदेशक राज्य उद्योग से चार्टर्ड लेखाकार के बदले प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रदान करने के लिए कहा जाए। पंजीकृत चार्टर्ड लेखाकारों की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से की जाए और प्रमाण-पत्र प्रदान करने की वैकल्पिक व्यवस्था पंजीकृत चार्टर्ड लेखाकार उपलब्ध होते ही समाप्त कर दी जाए और उसके उपरांत इकाईयों से पंजीकृत चार्टर्ड लेखाकार से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए कहा जाए।

(xiii) $ परिवहन इमदाद के किसी दुरूपयोग पर अंकुश लगाने की दृष्टि से, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में उद्योग निदेशालय यह सुनिश्चित करने हेतु कच्चे माल की खपत और परिष्कृत सामान के उत्पादन की संवीक्षा-प्रणाली द्वारा आवधिक जांच करेगा कि जिन कच्चे माल और परिष्कृत सामान के संबंध में परिवहन इमदाद दी गई है वह वास्तव में उस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त हुए थे।

(xiv) $ संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के उद्योग निदेशालय परिवहन इमदाद के दावों की संवीक्षा हेतु ही प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगे बल्कि दावों के त्वरित भुगतान की भी व्यवव्था करेंगे। किसी औद्योगिक इकाई द्वारा किए जा सकने वाले परिवहन इमदाद दावों की संख्या एक तिमाही में साधारणतया एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, निदेशक, उद्योग, किसी वित्तीय वर्ष में स्वविवेक से अधिक दावे करने दे सकते हैं, यदि औद्योगिक इकाई की वित्तीय स्थिति ऐसी अपेक्षा रखती हो तो।

(xv) $ संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के उद्योग निदेशालय औद्योगिक इकाईयों के पूर्व-पंजीकरण की प्रणाली निर्धारित कर सकते हैं जो परिवहन इमदाद की पात्र हैं। पंजीकरण के समय निदेशक, उद्योग ऐसी इकाईयों की क्षमता तय और इंगित करेंगे। राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के उद्योग निदेशालय यह भी निर्धारित करेंगे कि उत्पादन और कच्चे माल के उपयोग संबंधी आंकड़े रखे जाने चाहिए तथा उद्योग निदेशालय के अनुरोध पर निरीक्षण हेतु खुले रखे जाएं।

(xvi) $ औद्योगिक विकास मंत्रालय (अब औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के उद्योग निदेशालय द्वारा की गई व्यवस्था की लगातार समीक्षा करेगा और परिवहन इमदाद के दावे, भुगतान आदि संवीक्षा हेतु प्रक्रिया में आशोधन सुझाएगा।

(xvii) इस योजना के उपबंधों के रहते हुए भी, भारत सरकार और/अथवा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र को परिवहन इमदाद का कोई दावा करने देने से मना करने अथवा दावा अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार है।

[$ अधिसूचना सं. 6/3/75-आरडी दिनांक19.7.1978 द्वारा पुनर्संख्यांकित और संशोधित]

(xviii) *$ किसी औद्योगिक इकाई द्वारा जानबूझकर किए गए सभी मिथ्या कथन अथवा उसके द्वारा तथ्यों की गलतबयानी उसे समय की उतनी अवधि के लिए परिवहन इमदाद प्रदान किए जाने से अयोग्य ठहरा देगी जितनी भारत सरकार और/अथवा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र औद्योगिक इकाई को अपना मामला ब्यान करने हेतु उचित अवसर देने के उपरांत तय करे।

[* अधिसूचना सं. 6(26)/71-ISI दिनांक 28.2.1974 द्वारा संशोधित]

[$ अधिसूचना सं. 6/3/75-आरडी दिनांक19.7.1978 द्वारा पुनर्संख्यांकित और संशोधित]

फा.सं.10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

*****

नई दिल्ली दिनांक 01 अप्रैल, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007

सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 1.4.2007 से लागू वित्तीय प्रोत्साहनों और अन्य रियायतों का पैकेज अर्थात् **उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007** अनुमोदित की है जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की परिकल्पना करती है:

(i) कवरेज:

24.12.1997 को घोषित उत्तर-पूर्व औद्योगिक नीति (एनईआईपी), 1997 में अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालेंड तथा त्रिपुरा राज्य शामिल थे। एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत, सिक्किम को भी शामिल किया जाएगा। परिणामतः, कार्यालय ज्ञापन सं.14 (2)/2002-एसपीएस दिनांक 23.12.2002 द्वारा घोषित 'सिक्किम राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतें' तथा उसके अंतर्गत अधिसूचना सं. 14(2)/2002-एसपीएस दिनांक 23.12.2002 द्वारा अधिसूचित योजनाएं अर्थात् केन्द्रीय पूंजी निवेश इमदाद योजना, 2002, केन्द्रीय ब्याज इमदाद योजना, 2002 तथा केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2002 1.4.2007 से समाप्त कर दी जाएंगी।

(ii) अवधि:

सभी नई इकाईयां तथा विद्यमान इकाईयां जो भारी विस्तार करती हैं, जबतक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, और जो एनईआईआईपीपी, 2007 की अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करती हैं, वे वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहनों की पात्र होंगी।

(iii) स्थान की निरपेक्षता:

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कहीं भी स्थित नई और विद्यमान सभी औद्योगिक इकाईयों को उनके भारी विस्तार पर प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे। परिणामत:, एनईआईपी, 1997 में 'ध्यान संकेन्द्रित' और 'गैर-ध्यान संकेन्द्रित' उद्योगों के बीच भिन्नता 1.4.2007 से समाप्त कर दी जाएगी।

(iv) भारी विस्तार:

भारी विस्तार पर प्रोत्साहन एनईआईपी, 1997 में निर्धारित 33½% की बृद्धि की तुलना में, क्षमता/आधुनिकीकरण के विस्तार तथा विविधीकरण के प्रयोजनार्थ सयंत्र और मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश में 25% की बृद्धि करने वाली इकाईयों को दिए जाएंगे।

(v) उत्पादन शुल्क छूट:

एनईआईपी, 1997 के अंतर्गत उपलब्ध, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बने परिष्कृत सामान पर 100% उत्पादन शुल्क छूट जारी रहेगी। तथापि, उन मामलों में जहां परिष्कृत उत्पादों (उन उत्पादों से भिन्न अन्य जो अन्यथा छूटशुदा हैं अथवा शुल्क के शून्य दर के अध्यधीन है) के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल और अंतर्वर्ती उत्पादों पर अदा की गई सेनवेट, परिष्कृत उत्पादों पर देय उत्पादन शुल्क से अधिक हो, सेनवेट जमा राशि के ऐसे अधिप्रवाह की वापसी की क्रियाविधि वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी।

(vi) आयकर छूट:

एनईआईपी, 1997 के अंतर्गत उपलब्ध 100% आयकर छूट, एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत जारी रहेगी।

(vii) पूंजी निवेश इमदाद:

पूंजी निवेश इमदाद, एनईआईपी, 1997 के अंतर्गत उपलब्ध 30 लाख रुपये के मुकाबले संयंत्र और मशीनरी में निवेश के 15% से बढ़ाकर 30% कर दी जाएगी तथा इस दर पर इमदाद के स्वत: अनुमोदन हेतु सीमा प्रतियूनिट 15 करोड़ रु. होगी। ऐसी इमदाद निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में इकाईयों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा स्थापित इकाईयों पर लागू होगी। 1.5 करोड़ से अधिक परन्तु अधिकतम 30 करोड़ रु. तक की पूंजी निवेश इमदाद प्रदान करने हेतु सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग (डोनर), व्यय, योजना आयोग से प्रतिनिधि तथा उस उद्योग की

विषयवस्तु को डील करने वाले भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिव उसके सदस्य स्वरूप और उत्तर-पूर्वी राज्य जिसमें दावाकर्त्ता इकाई अवस्थित है, के संबंधित मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग) से युक्त अधिकार प्राप्त समिति होगी।

30 करोड़ रुपये से अधिक इमदाद के पात्र प्रस्ताव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा संघीय मंत्रिमंडल के समक्ष उसके विचारार्थ तथा अनुमोदन हेतु रखे जाएंगे

(viii) ब्याज इमदाद:

एनईआईपी, 1997 के अंतर्गत उपलब्ध ब्याज कार्यरत पूंजी उधार पर 3% की दर से एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत उपलब्ध करवा दी जाएगी।

(ix) व्यापक बीमा:

नई औद्योगिक इकाईयां तथा विद्यमान इकाईयां अपने भारी विस्तार पर बीमा प्रीमीयम की 100% प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी।

(x) नकारात्मक सूची:

एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत, निम्नलिखित उद्योग लाभों के पात्र <u>नहीं</u> होंगे:-

(i) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाला सभी सामान जो तम्बाकू तथा विनिर्मित तम्बाकू प्रतिस्थापनों से संबंधित है।

(ii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अंतर्गत यथाकवर पान मसाला।

(iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना सं.का.आ. 705(अ) दिनांक 02.09.1999 और का.आ.698(अ) दिनांक 17.6.2003 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 20 माईक्रोन से कम प्लास्टिक थैलियां।

(iv) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला पेट्रोल तेल अथवा गैस शोधन संयंत्रों द्वारा उत्पादित सामान।

(xi) सेवा/अन्य क्षेत्र उद्योगों के लिए प्रोत्साहन

एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत प्रोत्साहन निम्नलिखित सेवा क्षेत्र कार्यकलापों/उद्योगों पर लागू होंगे:-

I. <u>सेवा क्षेत्र</u>

(i) होटल (दो सितारा श्रेणी से नीचे नहीं), साहसी और रोपवे सहित आरामदायक खेलकूद;

(ii) 25 बिस्तर की न्यूनतम क्षमता वाले नर्सिंग होम्स स्वरूप की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं तथा वृद्धाश्रम;

(iii) होटल प्रबंधन केटरिंग और खाद्यशिल्प, उद्यमशीलता विकास, नर्सिंग, पराचिकित्सा, नागरिक उड्डयन संबद्ध प्रशिक्षण फैशन, डिजाईन और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान।

आयकर अधिनियम की धारा 10-क तथा 10-कक के विद्यमान उपबंधों के अंतर्गत अनेक कर रियायतें सूचना प्रौद्योगिकी पार्क अथवा आईटी संबद्ध एसईजैड के विकास में एक महत्वपूर्ण अड़चन उस क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों का न होना है। तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 80 आईसी के अंतर्गत यथा उपलब्ध कर लाभों को आईटी संबद्ध प्रशिक्षण केन्द्रों तथा आईटी हार्डवेयर इकाईयों पर विस्तारित किया जाएगा।

II <u>जैव प्रौद्योगिकी उधोग के लिए प्रोत्साहन:</u>

एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत लाभों के लिए जैव प्रौद्योगिकी उधोग पात्र होगा जैसे ये लाभ अन्य उद्योगों पर लागू है।

III <u>विद्युत उत्पादन उद्योगों केलिए प्रोत्साहन:</u>

विद्युत उत्पादन संयंत्र आयकर अधिनियम की धारा 81-क के उपबंधों द्वारा यथा शासित प्रोत्साहन पाना जारी रखेंगे। इसके अलावा, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों-दोनों ही पर आधारित 10 एमडब्ल्यू तक के विद्युत उत्पादन संयंत्र भी एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत लागू पूंजी निवेश इमदाद, ब्याज इमदाद तथा व्यापक बीमा हेतु पात्र होंगे।

(xii) एनईआईआईपीपी, 2007 के कार्यान्वयन हेतु निगरानी तंत्र की स्थापना:

एनईआईआईपीपी, 2007 के कार्यान्वयन हेतु निगरानी तंत्र स्थापित करने की दृष्टि से, सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में, मंत्रालय/राजस्व विभाग, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास विभाग, बैंकिंग और बीमा के सचिव, योजना आयोग, सीएमडी, एनईडीएफआई के प्रतिनिधि तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की उद्योग एसोसिएशनों सहित प्रमुख हितधारकों से युक्त 'उच्च स्तरीय समिति'/'सलाहकार समिति' गठित की जाएगी। इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में, उत्तर-पूर्व राज्यों के उद्योग मंत्रियों को सदस्यों स्वरूप शामिल करते हुए एक 'निरीक्षण समिति' गठित की जाएगी।

(xiii) मूल्य वर्धन

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में खरे औद्योगिक कार्यकलाप सुनिश्चित करने की दृष्टि से, एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत लाभ उस सामान के संबंध में अनुमत्य नहीं होंगे जिनके भंडारण के दौरान परिरक्षण, साफ-सफाई कार्य, पैकिंग, पुन: पैकिंग, लेबल लगाने, पुन: लेबल लगाने, छंटाई, खुदरा विक्रय मूल्य का परिवर्तन आदि जैसे आनुषंगिक कार्यकलाप मात्र हुए हों।

(xiv) परिवहन इमदाद योजना

परिवहन इमदाद योजना उन्ही शर्तों और निबंधनों पर 31.3.2007 से आगे जारी रहेगी। तथापि, इस योजना का शीघ्र मूल्यांकन, इसमें संभव त्रुटियों और दुरुपयोग को रोकने हेतु आवश्यक रक्षोपाय शुरू करने की दृष्टि से किया जाएगा।

(xv) <u>नोडल अभिकरण</u>

उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत इमदादों के संवितरण हेतु नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करना जारी रखेगी।

2. कार्यालय ज्ञापन संख्या ईए/1/2/96-Iपीडी दिनांक 24.12.1997 द्वारा घोषित 'नई औद्योगिक नीति तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अन्य रियायतें' (एनईआईपी, 1997) 1.4.2007 से लागू नहीं रहेगी। जिन औद्योगिकी इकाईयों ने वाणिज्यिक उत्पादन 31.3.2007 को अथवा उससे पूर्व शुरू कर दिया है वे, एनईआईपी, 1997 के तहत लाभ/प्रोत्साहन पाना जारी रखेंगी।

3. सरकार लोक हित में इस नीति के किसी भाग को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

4. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से, अपने संबंधित अधिनियम/नियम/अधिसूचनाएं संशोधित करने और इन निर्णयों को अमल में लाने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध है।

(एन.एन. प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग तथा योजना आयोग।
(ii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य के मुख्य सचिव।
(iii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य के सचिव (उद्योग)।
(iv) उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी।

प्रतिलिपि इन्हें भी:-

(i) मंत्रिमंडल सचिवालय
(ii) प्रधानमंत्री कार्यालय